



क्रमांक : रा.सं.सं.ल.प./२७

दिनांक: 24/4/2020

अधिसूचना

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय)

30 अप्रैल से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार ने संस्कृत के तीन विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है इसी क्रम में अब राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) नई दिल्ली, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 30 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा।

भारत सरकार कानून एवं न्याय मंत्रालय (लेजिस्लेटिव विभाग द्वारा प्रकाशित सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2020 ने गजट ऑफ इण्डिया 15 मार्च 2020) संसद द्वारा पारित एवं भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) अब अपने 12 परिसरों सहित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार) ने अपने नोटिफिकेशन दिनांक 17 अप्रैल 2020 के द्वारा कार्यालयीय गजट के द्वारा निश्चित किया है कि अप्रैल 30, 2020 से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय Act प्रभावी हो जाएगा।

कुलसचिव, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नोटिफिकेशन F.No. 12045/2020-Estt./RSks/CSU/01/20 दिनांक 22.4.2020 के अनुसार इसके 12 परिसरों में एक लखनऊ परिसर भी 30 अप्रैल 2020 से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर के रूप में प्रभावी हो जाएगा तथा प्राचार्य अब निदेशक के रूप में कार्य करेंगे।

दिनांक 24/4/2020
प्राचार्य